आवासन मंडल करेगा सबके घर का सपना साकार

■ आवासन मंडल की आमजन को 19 आवासीय योजनाओं की सौगात ■ राजधानी जयपुर को मिली 7 आवासीय योजनाएं

महानगर संवाददाता

जयपुर। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आमजन के आवास के सपने को पूरा करने के लिए आवासन मंडल द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में लॉन्च की गई 19 आवासीय योजनाओं के 6 हजार 663 आवासों के लिए पंजीकरण 1 सितंबर, 2020 से शुरू होगा।

आवासन आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 14 स्वतंत्र आवासीय योजनाओं सहित 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कर्मचारी आवासीय योजना लॉन्च की गई थीं। इन योजनाओं में से 10 योजनाओं के लिए ऑनलाइन व 9 योजनाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर और इंदिरा गांधी नगर योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 4 आवासीय योजनाएं बनाई जाएंगी। इन योजनाओं में 1 बीएचके फ्लैट की कीमत मात्र 6 लाख 1 हजार रुपए और 2 बीएचके फ्लैट की कीमत मात्र 8 लाख 99 हजार रुपए रखी गई है। इन दोनों योजनाओं में 2500 आवास निर्मित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना नायला में वीकेंड होम योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत पहाड़ों की तलहटी के नीचे हरी-भरी वादियों के

बीच मात्र 14 लाख 99 हजार रुपए में डुपलेक्स आवास खरीदने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि यहां चौपाटी, ओपन एयर थिएटर, चिल्ड्रन पार्क और ओपन जिम जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

आयुक्त ने बताया कि राज्य कर्मचारियों के लिए मंडल द्वारा पहली बार जयपुर में सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आवास उपलब्ध करवाने के लिए सेक्टर 26 प्रताप नगर में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत समस्त सुविधा युक्त 2 बीएचके फ्लैट मात्र 11 लाख रुपए में और 3 बीएचके फ्लैट मात्र 21 लाख 90 हजार रुपए में उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना में कुल 720 बहुमंजिला आवास निर्मित किए जाएंगे। यहां क्लब हाउस/कम्युनिटी सेंटर, सिटी पार्क, जॉगिंग ट्रेक, साइकिल ट्रेक, स्केटिंग रिंग और ओपन जिम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह स्ववित्त पोषित योजना होगी। इस योजना में राज्य सरकार, निगम, बोर्ड और राजकीय उपक्रम के कर्मचारी व अधिकारी आवेदन कर सकेंगे।

अब जयपुर में खरीदें मात्र 5 लाख रुपए में स्वतंत्र आवास

उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा लंबे समय के बाद जयपुर में स्वतंत्र आवासों की योजना लांच की गई है। योजना के तहत जयपुर के समीप टोंक रोड स्थित, वाटिका एवं अजमेर रोड स्थित, महला में कुल 1525 स्वतंत्र आवास बनाए जाएंगे। इनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, और मध्यम आय वर्ग-अ श्रेणी के लोग आवेदन कर सकेंगे। योजना में अल्प आय वर्ग के लिए मात्र 5 लाख रुपए में स्वतंत्र आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।

अन्य शहरों में भी स्वतंत्र आवास खरीदने का सुनहरा अवसर : महात्मा ज्योतिराव फुले आवासीय योजना, नसरीबाद (अजमेर), निवाई आवासीय योजना, निवाई (टोंक), पटेल नगर विस्तार-भाग2 आवासीय योजना, भीलवाड़ा, शाहपुरा आवासीय योजना, भीलवाड़ा, शास्त्री नगर आवासीय योजना, बांसवाड़ा, अटल नगर आवासीय योजना, भींडर, उदयपुर, द्वारकापुरी योजना, सविना द्वितीय एवं दक्षिण विस्तार आवासीय योजना-उदयपुर, महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना, बड़ली, जोधपुर, मानपुर आवासीय योजना, आबूरोड शहर, जिला सिरोही और खोड़ा गणेश फेज चतुर्थ आवासीय योजना किशनगढ़ में भी स्वतंत्र आवास के लिए आवेदन किया जा सकता है।

31 अक्टूबर तक कर सकेंगे अतिरिक्त भू-पट्टी के लिए आवेदन

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त भू-पट्टी (स्ट्रिप ऑफ लंड) के आवंटन हेतु आवेदन मय देय राशि सहित अब 31 अक्टूबर, 2020 तक लिए जाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में आवंटन के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2020 निर्धारित की गई थी।

अरोड़ा ने बताया कि मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में बची हुई स्ट्रिप ऑफ लैंड को आवासीय आरक्षित दर की डेढ़ गुना राशि पर आवंटित किया जाएगा। पहले आवासीय आरक्षित दर के दोगुने पर आवंटन किया जाता था। इसके साथ ही अब लीज केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही वसूली जाएगी, पहले यह आवासीय आरक्षित दर के दोगुने पर वसूली जाती थी।

उन्होंने बताया कि स्ट्रिप ऑफ लैंड जोड़ने के बाद भूखंड का जो आकार हो जाएगा, उस पर बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार भूखंड मालिक निर्माण कर सकेगा। पूर्व में स्ट्रिप ऑफ लैंड पर केवल वृक्षारोपण की ही अनुमति थी।